



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 16.12.2025

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, मुकदमें से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता सकुशल बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-373/25 धारा-87/137(2) भा0न्या0सं0 से सम्बंधित 02 वांछित अभियुक्त 1. सचिन कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी रहाईशपुर थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज व 2. विशाल पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खिदिरपुर बिगहिया थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-16.12.2025 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत भावापुर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजापुर परशुराम निवासी अनिल कुमार मिश्रा पुत्र श्रीराम जी मिश्रा के नाबालिग पुत्री के दिनांक-09.11.2025 को सब्जी लेने के लिए बाजार जाने व वापस न आने के सम्बंध में मुकदमा वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर

थाना सोरांव पर मु0अ0सं0-373/2025 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था तथा उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर धमकी व अश्लील वीडियो शेयर करने आदि के सम्बन्ध में वादी मुकदमा अनिल कुमार मिश्रा उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-411/25 धारा 351(3) भा0न्या0सं0 व 67 आई0टी0 एक्ट भी पंजीकृत किया गया था। पीड़िता के सकुशल बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सचिन उपरोक्त से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि सचिन तथा उसका मित्र विशाल उपरोक्त दोनों पीड़िता/अपहता के घर आते जाते थे। जहां पर सचिन की बातचीत पीड़िता से शुरू हुई। जब इसकी जानकारी पीड़िता के घर वालों को हुई तो घर वालों द्वारा उन दोनों को मिलने तथा बात करने से मना किया गया। दिनांक 09.11.2025 को पीड़िता/अपहता अपने घर से निकली तो पीड़िता/अपहता, सचिन और विशाल छिवकी स्टेशन से होते हुए गुजरात चले गये, जहां पर ये लोग गुजरात के वलसाड़ जिले के उमरगांव में रह रहे थे तथा मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सचिन कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी रहाईशपुर थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. विशाल पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खिदिरपुर बिगहिया थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-373/25 धारा-87/137(2) भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-411/25 धारा-351(3) भा0न्या0सं0 व 67 आई0टी0 एक्ट थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र०नि० केशव वर्मा, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ०नि० राजेश कुमार, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ०नि० शुभम शर्मा, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का० आनन्द सिंह, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. का० अमित कुमार मिश्रा, सर्विलांस सेल गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. म०का० संध्या यादव, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।